



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164191

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 4354 वर्ष 2026

गोलू यादव उर्फ शुभम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आकाश दीप श्रीवास्तव, पूजा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, हिमांशु गोस्वामी, सौरभ शर्मा

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0056 सन् 2026, धारा 191(2), 351(3), 352 एवं 109 बी.एन.एस., 2023, थाना कोतवाली, जनपद वाराणसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि उसे उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.03.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता द्वारा अभियुक्त-आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसमें आरोप है कि अभियुक्त-आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के घर में प्रवेश किया और ₹5 लाख की रंगदारी की मांग की। उन पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने सूचनादाता के परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई। यह चोट से संबंधित मामला नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रारंभ में दिनांक 30.06.2024 को आवेदक के पिता द्वारा सूचनादाता के पुत्र के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में उक्त मामले के कारण झूठा फंसाया गया है। वह मुकदमा अपराध संख्या, जिसमें सूचनादाता का पुत्र अभियुक्त है, मुकदमा अपराध संख्या 49/2024, थाना दशाश्वमेध, जनपद काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उस मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। सूचनादाता आवेदक पर दबाव बनाना चाहता है। जांच जारी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का सात अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, तथापि वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है और दो मामलों को छोड़कर, जिनमें आवेदक के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, सभी मामलों में जमानत पर है। समान स्थिति वाले अभियुक्त अभिषेक सहानी उर्फ विशाल सहानी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा नाबाल संख्या 4110 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। अभियुक्त-आवेदक को अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, यद्यपि वह जांच में सहयोग करना चाहता है और इसलिए अग्रिम जमानत की मांग करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य समझौते के संबंध में वार्ता चल रही है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से प्रतिवादी मामले लंबित हैं। तथापि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें कोई चोट नहीं आई है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. अभिलेख के परिशीलन से संकेत मिलता है कि यह चोट रहित मामला है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है और यह नहीं बताया गया है कि वह पूर्व दोषसिद्ध है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अभिषेक सहानी उर्फ विशाल सहानी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-**गोलू यादव उर्फ शुभम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

05 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)